

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

सेवा में,

विनोद कुमार पाठक,  
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक

विषय: डा० रंजन कुमार सिंह, सेवा निवृत्त उपाधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय पटना प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कार्यालय आरा का शत प्रतिशत पेंशन जब्त करने के संबंध में।

प्रसंग: विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 758(3) दिनांक 22.12.2022 एवं 599(3) दिनांक 04.09.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा डा० रंजन कुमार सिंह, सेवा निवृत्त उपाधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय पटना प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कार्यालय आरा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित रहने के कारण प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश द्वारा 90% औपबंधिक पेंशन एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश पर 90% औपबंधिक उपदान की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. विभागीय अधिसूचना सं० 1093(9) दिनांक 03.10.2025 के द्वारा डा० रंजन कुमार सिंह, सेवा निवृत्त उपाधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय पटना प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कार्यालय आरा के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को पूर्ण करते हुए शत प्रतिशत पेंशन की राशि जब्त करने की शास्ति अधिरोपित एवं ससूचित किया गया है (छायाप्रति सलग्न)।

3. अतः वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि डा० रंजन कुमार सिंह, सेवा निवृत्त उपाधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय पटना प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कार्यालय आरा का विभागीय अधिसूचना सं० 1093(9) दिनांक 03.10.2025 के आलोक में अधिसूचना निर्गत की तिथि से शत प्रतिशत पेंशन की राशि जब्त करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,

ह०/-

( विनोद कुमार पाठक )

ज्ञापाक:

238(3)

/स्वा०, पटना, दिनांक : 12/3/26

प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (बै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भोजपुर आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना समाहरणालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: डा० रंजन कुमार सिंह, सेवा निवृत्त उपाधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय पटना प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कार्यालय आरा, पत्राचार का पता-मुहल्ला-हरदेव निवास, न्यू बहादुरपुर, पटना-16, डाकघर-राजेन्द्रनगर, थाना-न्यू बहादुरपुर, जिला-पटना, पिन-800016, मो०सं०-9155014507 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,7,8,9 एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

W. M. K. 12/3/26  
सरकार के उप सचिव